



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27012026-269586
CG-TL-E-27012026-269586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 321]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 349(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है), केंद्र सरकार यह संतोष होने पर कि जनहित के उद्देश्य से नीचे संलग्न अनुसूची में संक्षेप में वर्णित भूमि की आवश्यकता एल.सी. संख्या 195 के स्थान पर कि.मी. 493/8-9 पर अडोनी स्टेशन यार्ड, वेंगलापुरम एवं मांडागिरी ग्राम, अडोनी मंडल, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश राज्य में सड़क उपरिगामी पुल (आरओबी) के निर्माण हेतु है, उक्त भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उक्त उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप कलेक्टर/सीएएलए, अडोनी को लिखित रूप में दी जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी एवं उप कलेक्टर/सीएएलए, अडोनी आपत्तिकर्ता को स्वयं या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे और सभी आपत्तियों को सुनने तथा आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त जांच करने के उपरांत आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के नक्शे एवं अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

अनुसूची

एल.सी. संख्या 195 के स्थान पर कि.मी. 493/8-9 पर अडोनी स्टेशन यार्ड में सड़क उपरिगामी पुल (आरओबी) के निर्माण हेतु वेंगलापुरम ग्राम में 0.03 एकड़ तथा मांडागिरी ग्राम में 5.80 एकड़, कुल 5.83 एकड़ भूमि, अडोनी मंडल, कर्नूल जिला।

गाँव का नाम: मंडागिरी			तालुका: अडोनी			जिला: कुरनूल	
क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (एकड़)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अडोनी	वेंगलपुरम	96/C2	0.03	0.0121	सरकारी	पोरम्बोके
2		मंडागिरी	374/1B	0.03	0.0121	निजी	शुष्क आकलित
3			374/2B	0.33	0.1335	निजी	शुष्क आकलित
4			372/1	0.55	0.2225	सरकारी	पोरम्बोके
5			373/2B	0.60	0.2428	निजी	सूखा
6			370/1A1	0.01	0.0040	निजी	सूखा
7			370/1A3	0.03	0.0121	निजी	सूखा
8			370/1B1	0.02	0.0080	निजी	सूखा
9			370/1B3	0.18	0.0728	निजी	सूखा
10			371/2	1.11	0.4492	निजी	सूखा
11			220/2A	0.84	0.3399	सरकारी	पोरम्बोके
12			217/1	0.14	0.0566	सरकारी (आवासीय स्थल)	सूखा
13			218/A1	0.17	0.0687	सरकारी (आवासीय स्थल)	सूखा
14			218/B1	0.19	0.0768	सरकारी (आवासीय स्थल)	सूखा
15			218/C1	0.22	0.0890	सरकारी (आवासीय स्थल)	सूखा
16			219/2A	0.54	0.2185	निजी भूखंड	सूखा
17			234/2	0.26	0.1052	निजी भूखंड	सूखा
18			235/A2B2	0.12	0.0485	निजी भूखंड	सूखा
19			235/B2	0.46	0.1861	निजी भूखंड	सूखा
		Total		5.83	2.3584		

[फा. सं. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.195 /GY-WADI/GSU/GTL]

बी राम कृष्ण, सीपीएम / जीएसयू/ जीटीएल

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railways)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 22nd January, 2026

S.O. 349(E) in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC. No. 195 at Km 493/8-9 at Adoni Station Yard in Vengalapuram and Mandagiri villages of Adoni Mandal, Kurnool District in the state of Andra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Sub Collector/CALA Adoni in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Sub Collector/ CALA, Adoni shall give the objector an opportunity of being heard. either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC. No. 195 at Km 493/8-9 at Adoni Station Yard to an extent 0.03 acres in Vengalapuram to an extent 5.80 Acres of Mandagiri Village total extent 5.83 of Adoni Mandal Kurnool District.

Name of Village : Mandagiri			Taluka : Adoni		District : Kurnool		
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sy No.	Extent of Area in Acres	Extent of Area in Hectares	Type of Land (Govt/Pvt)	Nature of Land (Wet/Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adoni	Vengalapuram	96/C2	0.03	0.0121	Govt	Poramboke
2		Mandagiri	374/1B	0.03	0.0121	Private	Assessed Dry
3			374/2B	0.33	0.1335	Private	Assessed Dry
4			372/1	0.55	0.2225	Govt	Poramboke
5			373/2B	0.60	0.2428	Private	Dry
6			370/1A1	0.01	0.0040	Private	Dry
7			370/1A3	0.03	0.0121	Private	Dry
8			370/1B1	0.02	0.0080	Private	Dry
9			370/1B3	0.18	0.0728	Private	Dry
10			371/2	1.11	0.4492	Private	Dry
11			220/2A	0.84	0.3399	Govt	Poramboke
12			217/1	0.14	0.0566	Govt (House sites)	Dry
13			218/A1	0.17	0.0687	Govt (House sites)	Dry
14			218/B1	0.19	0.0768	Govt (House sites)	Dry
15			218/C1	0.22	0.0890	Govt (House sites)	Dry
16			219/2A	0.54	0.2185	Private Plots	Dry
17			234/2	0.26	0.1052	Private Plots	Dry

18			235/A2B2	0.12	0.0485	Private Plots	Dry
19			235/B2	0.46	0.1861	Private Plots	Dry
		Total		5.83	2.3584		

[F. No. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.195 /GY-WADI/GSU/GTL]

B RAMA KRISHNA, CPM/GSU/GTL